बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल–ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक– निगरानी 621–I–15 सन्–2015

(164)

सुदर्शन लोधी, आयु–62 वर्ष, तनय स्व. श्री रामकुमार लोधी,
निवासी ग्राम–छनहापुरवा (बंजारी)
तहसील–चन्दला, जिला–छतरपुर (म.प्र.) .....निगरानीकर्ता

बनाम

शासन–मध्यप्रदेश ..... उत्तरवादीगण

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक–46/स्वमेव निगरानी/अ–19/12–13 म. प्र. शासन बनाम सुदर्शन तनय रामकुमार लोधी में पारित आदेश दिनांक–05.02.2015 से असंतुष्ट होकर संहिता की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित विनय सादर प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला –छतरपुर (म. प्र.), जिन्हें आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा–द्वारा नायब तहसीलदार–बछौन,लौड़ी (लवकुशनगर) द्वारा प्रकरण क्रमांक–46/स्वमेव निगरानी/अ–19/12–13 में पारित आदेश दिनांक– 05.02.2015 को स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर प्रकरण क्रमांक–46/स्वमेव निगरानी/अ–19/12–13 दर्ज कर दिनांक–25.05.2014 को निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी उक्त नोटिस प्राप्त होने पर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर–511/2, 538, कुल किता–02, रकवा क्रमशः 0.324 हे. व 0.049 हे, कुल रकवा–0.373 हेक्टेयर, स्थित मौजा–बंजारी में निगरानीकर्ता लगभग पिछले 30 वर्षों से काबिज है, जिसके संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा पहले भी जुर्माना भरा गया है और वह निरन्तर लगान अदा करता चला आ रहा है।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपनी मेहनत व परिवारवालों के सहयोग से मकान भी बनाया गया और उक्त जमीन पर बैंक से लोन लेकर कुंआ भी खुदवाया गया और पेड़–पौधों का बगीचा लगवाया गया, जिस पर हर मौसम के वृक्ष जैसे–नीबू, आम, अमरूद, बेरी, बांस, नीम, कैमा, गूलर, पीपल, रियां, बबूल, चिल्ला आदि लगाये गये हैं, जिस पर निगरानीकर्ता खेती करके व वृक्षों की आय से अपना व अपने परिवार का उदर–पोषण करता है।

3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में लेख किया गया कि यदि श्रीमान् द्वारा उक्त भूमि छीन ली गई, तो निगरानीकर्ता व उसके परिवारवालों को रहने व खाने के लाले पड़ जायेंगे, क्योंकि निगरानीकर्ता के पास उक्त भूमि के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। साथ में यह भी लेख किया गया कि उक्त भूमि निगरानीकर्ता को राजस्व कर्मचारियों द्वारा ही पट्टे पर प्रदान की गई है। यदि उक्त भूमि निगरानीकर्ता से छीनने की कार्यवाही की जाती है, तो सर्वप्रथम जिस राजस्व कर्मचारी के द्वारा उक्त भूमि का पट्टा मुझ निगरानीकर्ता को प्रदाय किया गया है–सर्वप्रथम उसके विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जावे, किन्तु–उक्त बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्देखा कर विचारण न्यायालय, नायब तहसीलदार–बछौन,लौड़ी (लवकुशनगर), जिला–छतरपुर (म.प्र.) के प्र.क्र.–62/अ–19/1988–89 में पारित आदेश दिनांक–22.02.1989 को निरस्त करने का आदेश किया, उक्त आदेश दिनांक–05.02.2015 के विरूद्ध निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :–

–: निगरानी के आधार :–

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–05.02.2015 से यह निगरानी अन्दर अवधि है तथा माननीय द्वारा श्रवण किये जाने योग्य है।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय, नायब तहसीलदार–बछौन,लौड़ी (लवकुशनगर), जिला–छतरपुर (म.प्र.) का रिकॉर्ड तलब किये बगैर तथा निगरानीकर्ता द्वारा तत्संबंध में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद एवं उसको ऑर्डर शीट में लिये बगैर अंतिम आदेश पारित करने में त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-621-एक/2015 जिला छतरपुर सुदर्शन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 46/स्वमेव निगरानी/अ-19/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05-02-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-03-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

08/01/2019

किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 08/01/2019
सदस्य